



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 04.03.2023

**1-थाना फेस 1 द्वारा एनसीआर क्षेत्र में बैटरी व वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 बैटरी, 01 मोसा0 व 02 अवैध चाकू बरामद।**

थाना फेस 1 पुलिस द्वारा दिनांक 04.03.2023 को बैटरी व वाहन चोरी करने वाले 04 अभियुक्त 1. सचिन पुत्र जगपाल सिंह नि0 बिलन्दापुर थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर हालपता लोकेश शर्मा का मकान हरौला सै0 5 नोएडा 2. अजीत पुत्र रामकरन नि0 ग्राम बडिगमा थाना चाँदपुर जिला फतेहपुर हालपता जे.जे. कालोनी सै0 16 नोएडा गौतमबुद्धनगर 3. प्रमोद पुत्र वासुदेव राम नि0 बड़ा शंकर थाना पतायूँ जिला मोतिहारी बिहार हालपता सै0 4 ए-15 के पास नोएडा गौतमबुद्धनगर 4. कृष्ण पुत्र वासुदेव राम नि0 बड़ा शंकर थाना पतायूँ जिला मोतिहारी बिहार हालपता सै0 4 ए-15 के पास नोएडा गौतमबुद्धनगर को 4 बैटरी 1. सीरियल नं0 FEHO-IHST 1350/AG2K041095IG-23 (2) FEHP-IHST 1350 /A/1B2G586011MB/24 (3) FEHO-IHST 1350 /A1B2G580503BB23 (4) ) FEHO-IHST 1350/A3G2K041110JG/23 व एक मोटरसाइकिल हीरो HF DELUX काली नीले रंग की जिसका नं0 UP14CB0424 है मोटरसाइकिल का इंजन नं0 HA11EFD9J31476 तथा चेजिज नं0 MBLHA11EWD9J24751 व 02 चाकू नाजायज के साथ ए- 15 सै0 4 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। बरामद बैटरो के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना फेस 1 पर दिनांक 03.03.2023 को मु0अ0स0 123/2023 धारा 379 भादवि पूर्व से पंजीकृत है तथा बरामद मोसा0 एचएफ डीलक्स न0 यूपी 14 सीबी 0424 के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना फेस 1 पर दिनांक 23.02.2023 को मु0अ0स0 108/23 धारा 379 भादवि पूर्व से पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्तो में धारा 411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

### **अपराध करने का तरीका-**

उपरोक्त अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जो कम्पनियो में रैकी करके कम्पनियो से बैटरी चोरी कर लेते है तथा दिल्ली में दल्लुपुरा, अशोक नगर व अन्य स्थानो में ले जाकर बेच देते है। अभियुक्त उपरोक्त मौका पाकर नोएडा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मोसा0 चोरी की घटना भी कारित है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. सचिन पुत्र जगपाल सिंह नि0 बिलन्दापुर थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर हालपता लोकेश शर्मा का मकान हरौला सै0 5 नोएडा

2. अजीत पुत्र रामकरन नि० ग्राम बडिगमा थाना चाँदपुर जिला फतेहपुर हालपता जे. जे. कालोनी सै० 16 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. प्रमोद पुत्र वासुदेव राम नि० बड़ा शंकर थाना पतायूँ जिला मोतिहारी बिहार हालपता सै० 4 ए-15 के पास नोएडा गौतमबुद्धनगर
4. कृष्ण पुत्र वासुदेव राम नि० बड़ा शंकर थाना पतायूँ जिला मोतिहारी बिहार हालपता सै० 4 ए-15 के पास नोएडा गौतमबुद्धनगर

### **अपराधिक इतिहास का विवरण-**

1. मु०अ०स० 123/2023 धारा 379/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०स० 108/2023 धारा 379/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 04 बैटरे बरामद (कीमत 60 हजार के लगभग)
2. 01 मो०सा० एचएफ डीलक्स न०ं यूपी 14 सीबी 0424
3. 02 अवैध चाकू

## **2-थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का ईनामी वाछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा दिनांक 04.03.2023 को 62 गोल चक्कर थाना सेक्टर 63 नोएडा से अभियुक्त 1. इमरान पुत्र सईद नि० 49 कोठी अतानस नादर अली बिल्डिंग थाना देहली गेट जिला मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मु०अ०सं० 1429/2018 धारा 411/414/467/468/471/482 भादवि० थाना फेस 3 जनपद गौतमबुद्धनगर में वाछित अभियुक्त था।

### **विवरण-**

इमरान पुत्र सईद नि० 49 कोठी अतानस नादर अली बिल्डिंग थाना देहली गेट जिला मेरठ मु०अ०सं० 1429/2018 धारा 411/414/467/468/471/482 भादवि० में वाछित अपराधी था जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कार/गाड़िया चोरी करते थे तथा दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को खरीदकर उनके चेचिस व पुर्जा आदि को चोरी गयी गाड़ियों से बदल देते थे तथा दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के कागजों का इस्तेमाल चोरी की गयी गाड़ियों के कागजों के रूप में करते थे व चोरी की गयी गाड़ियों के फर्जी कागज भी तैयार करते थे अभियुक्त इमरान उपरोक्त बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी के डर से लगातार फरार चल रहा था अभियुक्त के विरुद्ध 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

इमरान पुत्र सईद नि० 49 कोठी अतानस नादर अली बिल्डिंग थाना देहली गेट जिला मेरठ

## अपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0सं0 1429/2018 धारा 411/414/467/468/471/482 भादवि0 थाना फेस 3 जनपद गौतमबुद्धनगर

### 3- थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 छुरी बरामद।

दिनांक 04.03.23 को थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त (1) मौ0 अमन पुत्र मौ0 छोटु उर्फ नेमतुल्ला नि0 सोभन, थाना सिमरी जनपद दरभंगा बिहार हाल पता झुग्गी झोपडी जे0जे0 कालौनी, सै0 8 थाना फेस 1 गौतमबुद्धनगर (2) नेमतुल्ला पुत्र सोहेल नि0 सोभन, थाना सिमरी जनपद दरभंगा बिहार हाल पता झुग्गी झोपडी जे0जे0 कालौनी, सै0 8 थाना फेस 1 गौतमबुद्धनगर (3) नौशाद आलम पुत्र उस्मान आलम नि0 ग्राम जमालपुर, थाना जमालपुर जनपद दरभंगा बिहार हाल पता देवेन्द्र का मकान, मन्दिर वाली गली, ग्राम शहदरा सै0 141 नोएडा गौतमबुद्धनगर को थाना सेक्टर 142 क्षेत्र स्थित मेट्रो स्टेशन सेक्टर 143 के नीचे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त थाना सेक्टर 142 के मु0अ0सं0 32/23 धारा 307/504/34 भादवि में वांछित थे।

### घटना का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 03.03.23 को मुकदमा उपरोक्त की वादिया के पति को छुरी मारकर घायल कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर 142 पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

(1)मौ0 अमन पुत्र मौ0 छोटु उर्फ नेमतुल्ला नि0 सोभन, थाना सिमरी जनपद दरभंगा बिहार हाल पता झुग्गी झोपडी

जे0जे0 कालौनी, सै0 8 थाना फेस 1 गौतमबुद्धनगर

(2)नेमतुल्ला पुत्र सोहेल नि0 सोभन, थाना सिमरी जनपद दरभंगा बिहार हाल पता झुग्गी झोपडी जे0जे0 कालौनी, सै0 8 थाना फेस 1 गौतमबुद्धनगर

(3)नौशाद आलम पुत्र उस्मान आलम नि0 ग्राम जमालपुर, थाना जमालपुर जनपद दरभंगा बिहार हाल पता देवेन्द्र का

मकान, मन्दिर वाली गली, ग्राम शहदरा सै0 141 नोएडा गौतमबुद्धनगर

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 32/23 धारा 307/504/34 भादवि थाना सेक्टर 142 गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण-

01 छुरी ( घटना में प्रयुक्त)

#### **4- थाना दादरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग मे वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 04.03.2023 को दादरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अशोक तोमर उर्फ राहुल पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम बडौदा थाना पिलखुवा जिला हापुड को नई सब्जी मण्डी दादरी के सामने देशी शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0स0 01/2023 धारा 2/3(1) गैंगस्टर अधिनियम चालानी थाना जारचा गौतमबुद्धनगर पंजीकृत है। जिसमे उपरोक्त अभियुक्त वाँछित चल रहा था।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

अशोक तोमर उर्फ राहुल पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम बडौदा थाना पिलखुवा जिला हापुड

#### **अपराधिक इतिहास का विवरण-**

1.मु0अ0सं0 01/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0स0 409/21 धारा 395,412,120बी,34 भादवि0 थाना भोजपुर गाजियाबाद।

#### **5- थाना दादरी पुलिस द्वारा लोगो से धोखाधडी कर रूपये लेने वाला वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20,000/- रूपये नकद व 01 मोटर साइकिल बरामद।**

दिनांक 03.03.2023 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 118/2023 धारा 420/406/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त राजकुमार पुत्र शम्भू सिंह नि0- म0न0 644 मौ0 तगा सराय थाना कोतवाली देहात हापुड हाल पता गाँव सदरपुर चौहान का मकान सै0 45 थाना सै0-39 नोएडा गौ0बु0नगर को बसन्तपुर नहर पुल के पास से मय 20,000/- रूपयो के साथ गिरफ्तार किया गया।

#### **घटना का विवरण-**

अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2023 धारा 420/406 भादवि के वादी के साथ धोखा धडी कर रूपये लेकर वापस न करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत है जिसमे उपरोक्त अभियुक्त प्रकाश मे आया है।

#### **अभियुक्त का विवरण-**

राजकुमार पुत्र शम्भू सिंह नि0- म0न0 644 मौ0 तगा सराय थाना कोतवाली देहात हापुड हाल पता गाँव सदरपुर चौहान का मकान सै0 45 थाना सै0-39 नोएडा गौ0बु0नगर।

#### **अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 118/2023 धारा 420/406/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

#### **बरामदगी का विवरण-**

अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त के कब्जे से 20,000/- रूपये व मो0सा0 न0-यूपी 16 सीवाई 3402 (207 एमवी एक्ट मे सीज) बरामद।

## # थाना ए0एच0टी0यू0 पुलिस टीम द्वारा मानसिक रूप से परेशान गुमशुदा महिला को परिजनों से मिलाया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा के पर्यवेक्षण में थाना ए0एच0टी0यू0 पुलिस टीम द्वारा समय-समय पर विभिन्न शैल्टर होम मे आवासित बच्चो एवं महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है। इसी क्रम में दिनांक 02.03.2023 को शैल्टर होम ,अपना घर आश्रम सै0-34 नोएडा में काउन्सलिंग की गई तो एक महिला उम्र 28 वर्ष, जिसको दिनांक 12.01.2023 को अपना घर आश्रम में थाना कविनगर पुलिस द्वारा कविनगर जनपद गाजियाबाद से रेस्क्यू करके लाया गया था, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जिस पर ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा महिला की काउन्सलिंग की गयी तो काउन्सलिंग के दौरान बताया गया कि उसके पिता डेरी का कार्य करते है। वह कविनगर में रहते है। ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा कविनगर पुलिस से महिला के बारे में फोन पर बात हुई तो थाना कविनगर की पुलिस के सहयोग से कविनगर में जाकर आस-पास लोगो से महिला के बारे पूछताछ की गई। ए0एच0टी0यू0 टीम के अथक प्रयास से महिला के पिता से मुलाकात हो गयी तो महिला के पिता द्वारा बताया कि मेरी बेटी दिमागी रूप से काफी परेशान थी जो पहले भी घर से कई बार जा चूकी थी। जिसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। मेरी बेटी बिना बताये दिनांक 10.01.2023 से घर से कहीं चली गई थी। हम लोगो ने उसको काफी ढूँढा लेकिन वह हमें कहीं नहीं मिली। आप लोगो ने हमें मेरी बेटी के बारे जानकारी दी हम आपके बहुत आभारी है। ए0एच0टी0यू0 की सूचना पर महिला की माता जी अपना घर आश्रम सै0-34 नोएडा पर आयी। अपना घर आश्रम के स्टाफ के सहयोग से सहायक पुलिस आयुक्त द्वितीय नोएडा के आदेशानुसार महिला को दिनांक 04.03.2023 को उसकी माता जी को सुपुर्द करने की कार्यवाही की जा रही है।

## #थाना कासना पुलिस द्वारा गुमशुदा हुये बच्चे को अथक प्रयास के सकुशल उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।

दिनांक 04.03.2023 को थाना कासना क्षेत्रान्तर्गत समय करीब 13.00 बजे प्रार्थी ने थाना आकर सूचना दी कि मेरा पुत्र उम्र करीब 05 वर्ष घर से कहीं चला गया है, तत्काल थाना स्थानीय पुलिस द्वारा बच्चे की तलाश रवाना होकर जगह जगह पूछताछ की गयी व थाना क्षेत्र में जगह-जगह खोजा गया 02 घंटे के अथक प्रयासों के बाद थाना कासना पुलिस द्वारा बच्चे को सकुशल खोजकर/बरामद कर बच्चे के माता-पिता के सुपुर्द किया गया। बच्चे के परिजनों द्वारा पुलिस के सहयोग हेतु प्रसन्न होकर प्रशंसा की गयी ।